JHARKHAND

Summary

- **Financial Assistance to People Living with HIV**
  Financial Assistance of Rs. 600/- per month to PLHIV

- **Antyodaya Anna Yojana (AAY):**

  Extended the benefits of AAY (Food Grains) under Targeted Public Distribution System to People Living with HIV in subsidized price.

संकल्प

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

संकल्प

संख्या – 03/म0स0/रा0यो0 – 169/2016– 1522 दिनांक :– 17/06/2016

विषय :– राज्य योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य में निवास करने वाले HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए "HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना" की स्वीकृति।

राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक– 24.05.2016 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य में निवास करने वाली HIV/AIDS पिड़ित व्यक्तियों के लिए **"HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना"** की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है।

2. इस योजनान्तर्गत राज्य में निवास करने वाले HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति जिन्हें केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ न मिल पा रहा हो उसे वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजनान्तर्गत पेंशन देय होगा।

3. इस योजना में लाभान्वितों को आच्छादित करने के लिए B.P.L. सूची में नाम तथा वार्षिक आय की सीमा में छुट रहेगी।

4. इस योजनान्तर्गत आवेदक को HIV/AIDS पीड़ित होने संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

5. इस योजनान्तर्गत HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति जो जिला एड्स नियंत्रण सोसाईटी से ART (Antiretroviral Therapy)/ARD (Antiretroviral Drugs) प्राप्त कर रहें है लाभ के हकदार होगें।

6. इस योजनान्तर्गत लाभूकों के चयन एवं पेंशन की स्वीकृति हेतु संबंधित जिलो के सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को आवेदन पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदन पत्रों के जाचोंपरान्त अनुशंसा के साथ स्वीकृति हेतु संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। अनुमण्डल पदाधिकारी समीक्षोपरान्त आवेदन पत्र पर स्वीकृति प्रदान करेगें। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति के उपरान्त लाभूकों को UID के माध्यम से स्थानीय बैंक/डाकघर में खाता खुलवाकर खातों के माध्यम से उसकी पेंशन राशि रु0 600/– (छः सौ रुपये) प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाये तथा इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्तों को भेजी जाये।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0 भाटिया 17/6/16

(मुखमीत सिंह भाटिया)
सरकार के प्रधान सचिव।

Pawan Jee- Mantriparishad Sanlekh Final (H) - 27 -

/.

15

ज्ञापांक – 03/म0स0/रा0यो0 – 169/2016– 1522 राँची, दिनांक – 17/06/2016

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र की 300 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मु० भाटिया 17/6/16
(मुखमीत सिंह भाटिया)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 03/म0स0/रा0यो0 – 169/2016– 1522 राँची, दिनांक – 17/06/2016

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मु० भाटिया 17/6/16
(मुखमीत सिंह भाटिया)
सरकार के प्रधान सचिव

संख्या–03 / HIV/AIDS (पेंशन)योजना–516 / 2016– 200

झारखण्ड, सरकार
महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
(सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)
(Phone No- 2446264 email-socialsec.nhr@gmail.com)

प्रेषक,

रवीन्द्र प्रसाद सिंह,भा०प्र०से०
निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अपर परियोजना निदेशक,
झारखण्ड राज्य एड्स नियत्रंण समिति,
सदर अस्पताल परिसर, पुरूलिया रोड, राँची।

राँची, दिनांक-29/07/2016

विषय :– झारखण्ड राज्य HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रपत्र का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कहना है कि झारखण्ड राज्य में PLHIV (People Living with HIV/AIDS) व्यक्तियों को राज्य सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु आवेदन–प्रपत्र तैयार कर आपको भेजा जा रहा है। जिसे अपने स्तर से सभी ART Center को उपलब्ध करायेंगे। इस योजना का शुभारम्भ झारखण्ड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के कर–कमलों से 15.08.2016 को होना सुनिश्चित है।

आप HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति जो Center से ART/ARD प्राप्त कर रहें है, के आवेदन पत्र पर चिकित्सा पदाधिकारी की अनुशंसा के साथ संबंधित जिला के उपायुक्त को सूची एवं आवेदन पत्र अग्रसारित करेंगे। आवेदन पत्र पूर्णरूपेण भरा हो, आधार नम्बर एवं बैंक खाता संख्या पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए। सूची की एक प्रति निदेशालय को भी भेजेंगे। उक्त निदेश सभी ART Center को भी अपने स्तर से दी जाय।

अनुलग्नक :–यथोक्त।

विश्वासभाजन
29/7/16
(रवीन्द्र प्रसाद सिंह)
निदेशक
सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–03 / HIV/AIDS (पेंशन) योजना–516 / 2016–200 राँची, दिनांक– 29.07.2016

प्रतिलिपि :–सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

29/7/16
(रवीन्द्र प्रसाद सिंह)
निदेशक
सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–03 / HIV/AIDS (पेंशन) योजना–516 / 2016–200 राँची, दिनांक–29.07.2016

प्रतिलिपि :–सभी प्रभारी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(रवीन्द्र प्रसाद सिंह)
निदेशक
सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–03 / HIV/AIDS (पेंशन) योजना–516 / 2016–200 राँची, दिनांक–29.07.2016

प्रतिलिपि :–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(रवीन्द्र प्रसाद सिंह)
निदेशक
सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची।

HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना हेतु आवेदन पत्र

फोटो

1. आवेदक (HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति) का नाम :–
2. पिता का नाम :–
3. पूरा पता :–

4. कोटि :– सामान्य/अनु0ज0/अ0ज0जाति/दिव्यांग/अल्पसंख्यक
5. आवेदन पत्र देने की तिथि को उम्र :–
6. आधार संख्या :–
7. बैंक खाता संख्या :–
8. जिला एड्स नियत्रण सोसाईटी से ART/ARD प्राप्त कर रहें है, लाभ के हकदार होंगे।
9. आवेदक का पहचान चिन्ह :–
10. मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि :–
    - i. मैं HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति हूँ।
    - ii. मैं केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित कोई भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभुक नहीं हूँ।
    - iii. मैं .... जिला ....राज्य .... की निवासी हूँ।
    - iv. मैं यह घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचनायें सत्य और मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है।

स्थान :–

तिथि :– आवेदक का ह०/अंगूठे का निशान

जाँच–विवरण

क) आवेदक/आवेदिका HIV/AIDS से पीड़ित है।

ख) आवेदक केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित नहीं है।

ग) HIV/AIDS पीड़ित होने संबंधी अनुशंसा पदाधिकारी का मंतव्य।

चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर

स्वीकृति का विवरण

2. जॉचोपरांतः– स्वीकृत/अस्वीकृत

स्वीकृति सं0 ....

तिथि :– ....

सुरेन्द्र ठाकुर

अनुमंडल पदाधिकारी

HIV/AIDS Scheme Format *Mithlesh*

पत्रांक –खा०आ०–01/ज०वि०प्र०/07/2011 3297

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू करने पर ''पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना'' के तहत् होने वाले व्यय रूपये 74.00 करोड़ की राशि एवं अंत्योदय परिवारों के लिए रूपये 22.00 करोड़ अर्थात कुल 96.00 करोड़ की राशि की स्वीकृति के संबंध में।**

भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा राज्यों में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन किये जाने हेतु राज्य में उक्त अधिनियम को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा ''पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना'' एवं अंत्योदय परिवारों के लिए खाद्यान्न वितरण से संबंधित विषयवस्तु पर राज्य सरकार द्वारा विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 96.00 करोड़ की राशि की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है:–

2. वर्त्तमान समय में भारत सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से राज्य के लक्षित जन विरतण प्रणाली के अंतर्गत निम्नप्रकार से खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होता है :–

(क) **बी०पी०एल० योजना –**

बी०पी०एल० योजनान्तर्गत राज्य के 14,76,100 लक्षित बी०पी०एल० परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से आवंटित किया जाता है। वर्त्तमान में इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को खाद्यान्न का आवंटन केन्द्रीय निर्गम मूल्य 565/– प्रति क्वींटल की दर से प्राप्त होता है जिस पर राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट से 581.75/– प्रति क्वींटल की दर से अनुदान प्रदान करने के उपरांत 100/– प्रति क्वीटल की दर से लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) **अन्त्योदय अन्न योजना –**

अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत राज्य के 9,17,900 लक्षित अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से आवंटित किया जाता है। वर्त्तमान में इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को खाद्यान्न का आवंटन केन्द्रीय निर्गम मूल्य 300/– प्रति क्वींटल की दर से प्राप्त होता है जिस पर राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट से 314.10/– प्रति क्वींटल की दर से अनुदान प्रदान करने

के उपरांत 100/– प्रति क्वीटल की दर से लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) **ए०पी०एल० योजना –**

ए०पी०एल० योजनान्तर्गत 19,62,000 लक्षित ए०पी०एल० परिवारों 5 किलोग्राम चावल एवं 5 किलोग्राम गेहूँ प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से आवंटित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2.5 किलोग्राम चावल एवं 2.5 क्रिलोग्राम गेहूँ प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त आवंटन भी प्राप्त होता है। इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को चावल तथा गेहूँ का आवंटन केन्द्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः 830/– प्रति क्वींटल तथा 610/– प्रति क्वींटल की दर से प्राप्त होता है जबकि लाभुकों को गेहूँ तथा चावल क्रमशः 921/– प्रति क्वींटल तथा 687.85/– प्रति क्वींटल की दर से दिया जाता है।

(घ) **अतिरिक्त बी०पी०एल० योजना –**

अतिरिक्त बी०पी०एल० योजनान्तर्गत भारत सरकार से समय–समय पर अतिरिक्त/तदर्थ रूप से खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होता है जिसकी मात्रा निश्चित नहीं होती है। वर्त्तमान में इस योजनान्तर्गत राज्य के कुल 11,15,833 परिवारों को खाद्यान्न दिया जाता है जिसमें भारत सरकार से राज्य सरकार को खाद्यान्न बी०पीं०एल० केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर प्राप्त होता है एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदानोंपरांत 100/– प्रति क्वींटल की दर पर लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

3. खाद्य सुरक्षा एवं अन्य प्रावधान –

(i) पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थियों के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम प्रति माह की दर से अनुदानित दर पर जन वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। लक्षित अन्त्योदय अन्न योजना से आच्छादित परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है।

(ii) इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के 86.48 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के 60.20 प्रतिशत जनसंख्या को अनुदानित दर पर खाद्यान्न का वितरण किया जाना है।

(iii) राज्य सरकार पात्र गृहस्थियों को खाद्यान्न के बदले गेहूँ का आटा भी आवंटित कर सकती है।

(iv) इस अधिनियम के अंतर्गत गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं (बच्चे के जन्म से छः माह तक) को मुफ्त भोजन आंगनबाड़ी के माध्यम से तथा मातृत्व लाभ के रूप में कम से कम 6000/– रूपये किस्तों में भुगतान की जाने का प्रावधान है। यह लाभ

वैसे केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पी०एस०यू० महिला कर्मियों एवं वैसे महिलाएँ जो अन्य नियमों के तहत् उपर्युक्त लाभ प्राप्त करते हों, के साथ लागू नहीं होगा।

(v) इस अधिनियम के अंतर्गत छः माह से 6 साल तक के बच्चे को स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से मुफ्त भोजन दिये जाने के प्रावधान है।

(vi) इस अधिनियम के अंतर्गत 6 साल से 14 साल के बच्चे को या आठवीं कक्षा तक के बच्चे को जो भी मान्य हो, के लिए मिड डे मिल के रूप में मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है जो कि स्थानीय निकाय/सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के माध्यम से विद्यालय अवकाश को छोड़ते हुए शेष सभी दिनों में उपलब्ध कराया जायेगा।

कंडिका क्रमांक (iv) एवं (v) समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखंड, तथा कंडिका (vi) का कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड द्वारा प्रस्तावित है।

4. अन्नाज वितरण का दर –

भारत सरकार द्वारा 3.00/– किलोग्राम की दर से चावल 2.00/– किलोग्राम की दर से गेहूँ एवं 1.00/– किलोग्राम की दर से मोटा अनाज उपलब्ध कराया जाना है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त दर पर खाद्यान्न का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आच्छादित व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जायेगा। वर्त्तमान में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (बी0पी0एल0), अंत्योदय अन्न योजना एवं अतिरिक्त बी0पी0एल0 योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुदानोंपरांत 1.00 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से लाभुकों को चावल उपलब्ध कराया जाता है।

5. खाद्य सुरक्षा भत्ता –

हकदार व्यक्तियों को आवश्यक खाद्यान्न की आपूर्ति न हो पाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रति लाभान्वित व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जायेगा।

6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अंतर्गत अधिकत्तम आच्छादित जनसंख्या–

भारत सरकार से प्राप्त पत्रांक D.O.No. H- 11018/1/2013-NFSA, दिनांक 26.07.2013 के अनुसार राज्य के कुल जनसंख्या (2011 जनगणना) के अन्तर्गत ग्रामीण जनसंख्या का 86.48 प्रतिशत एवं शहरी जनसंख्या का 60.20 प्रतिशत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अच्छादित किया जाना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अन्तर्गत राज्य में कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या, गृहस्थियों की संख्या एवं आकार तथा आच्छादित होने वाले गृहस्थियों की संख्या निम्नप्रकार है:–

	जनसंख्या	हाउस –होल्ड्स	हाउस –होल्ड्स साईज	आच्छादन का प्रतिशत	आच्छादित की जाने वाली जनसंख्या	आच्छादित गृहस्थ परिवार
ग्रमीण क्षेत्र	2,50,55,073	47,29,369	5.2977	86.48	2,16,67,627	40,90,006
शहरी क्षेत्र	79,33,061	15,25,412	5.2006	60.20	47,75,703	9,18,298
कुल	**3,29,88,134**	**62,54,781**	**5.2740**	**80.16**	**2,64,43,330**	**50,08,304**

इस प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकत्तम 2,16,67,627 एवं शहरी क्षेत्रों के अधिकत्तम 47,75,703 कुल अधिकत्तम 2,64,43,330 व्यक्तियों को आच्छादित किया जाना है। यह संख्या आगामी जनगणना तक अपरिवर्त्तनीय है। वर्त्तमान में राज्य के अंत्योदय परिवारों की संख्या 9,17,900 हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वर्त्तमान में यह संख्या अपरिवर्त्तनीय है परन्तु इस संख्या के अंतर्गत लाभुक परिवारों में आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन किया जा सकता है।

(i) ग्रामीण क्षेत्र

राज्य के कुल ग्रामीण जनसंख्या 2,50,55,073 का अधिकत्तम 86.48 प्रतिशत यानि 2,16,67,627 व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अच्छादित किया जाना है। वर्तमान में ग्रामीण अंत्योदय परिवारों की संख्या 8,44,983 है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के औसत हाउस होल्ड साईज 5.2977 को आधार मानते हुए अंत्योदय परिवारों में आच्छादित व्यक्तियों की संख्या 44,76,466 होती है। इस प्रकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में पूर्वविक्ता प्राप्त व्यक्तियों के श्रेणी में अधिकत्तम 1,71,91,161 व्यक्तियों को आच्छादित किया जाना है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के हाउस होल्ड साईज के अनुसार पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थियों की संख्या 32,45,023 होती है। कुल मिलाकर ग्रामीण हाउस होल्ड साईज के अनुसार 40,90,006 गृहस्थियाँ आच्छादित की जा सकती है।

(ii) शहरी क्षेत्र

राज्य के कुल शहरी जनसंख्या 79,33,061 का अधिकत्तम 60.20 प्रतिशत यानि 47,75,703 व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित किया जाना है। वर्तमान में शहरी अंत्योदय परिवारों की संख्या 72,917 है। राज्य के शहरी क्षेत्रों के औसत हाउस होल्ड साईज 5.2006 को आधार मानते हुए अंत्योदय परिवारों में आच्छादित व्यक्तियों की संख्या 37,9212 होती है। इस प्रकार राज्य के शहरी क्षेत्र में पूर्वविक्ता प्राप्त व्यक्तियों के श्रेणी में अधिकत्तम 43,96,491 व्यक्तियों को आच्छादित किया जाना है। राज्य के शहरी क्षेत्रों के हाउस होल्ड साईज के अनुसार पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थियों की संख्या 8,45,381 होती है। कुल मिलाकर शहरी हाउस होल्ड साईज के अनुसार 9,18,298 गृहस्थियाँ आच्छादित की जा सकती है।

7. पात्र गृहस्थियों की पहचान :–

राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के क्रियान्वयन के लिए पात्र परिवार निम्नानुसार प्रस्तावित हैं :–

(i) समस्त ऐसे परिवार जो अंत्योदय अन्न योजना के लाभुक हैं।

(ii) समस्त पूर्वविक्ता प्राप्त परिवार।

अंत्योदय परिवारों एवं पूर्वविक्ता प्राप्त परिवारों के अंतर्गत प्रावधानित संख्या/जनसंख्या के अंदर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार चिन्हांकित परिवारों को सम्मलित अथवा विलोपित किया जा सकता है।

योजना का कार्यान्वयन दो चरणों में लागू किया जाना प्रस्तावित है :–

<u>प्रथम चरण</u> योजना के प्रथम चरण में सभी चिन्हित अंत्योदय अन्न योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना (बी०पी०एल० योजना) एवं अतिरिक्त बी0पी0एल0 योजना के चिन्हित परिवारों को सम्मलित किया जाना प्रस्तावित है।

<u>द्वितीय चरण</u> योजना के द्वितीय चरण में अधिनियम से आच्छादित होने वाले कुल लाभुकों की संख्या में से प्रथम चरण में चिन्हित लाभुक के बाद अवशेष बचे परिवारों/लाभुकों को चिन्हित किया जायेगा। यह चिन्हितीकरण अन्त्योदय योजना एवं पूर्वविक्कता परिवारों सहित दोनों प्रकार के लाभुकों के लिए होगा।

गृहस्थिओं के पहचान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समावेशन एवं अपवर्जन मानकों को लागू करते हुए SECC-2011 Data के आधार पर की जायेगी। SECC-2011 Data के ससमय अप्राप्त रहने की स्थिति में इच्छुक लाभुकों से आवेदन प्राप्त कर जाँचोपरान्त दावों का निपटारा किया जायेगा एवं लाभुकों का चयन करते हुए सूची तैयार की जायेगी। इस आधार पर तैयार सूची ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसभा एवं शहरी क्षेत्रों में शहरी निकाय से पारित करायी जायेगी। पहचान किये गये पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थियों की सूची सार्वजनिक रूप से प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी एवं विभागीय पोर्टल पर सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध रखी जायेगी। आवश्यकतानुसार इस सूची में समय–समय पर आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। पहचान की विस्तृत प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी।

वर्त्तमान में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को मिलाकर 23,94,000 बी०पी०एल० परिवारों (अन्त्योदय परिवार सहित) को लक्षित परिवार मानते हुए खाद्यान्न का नियमित आवंटन दिया जाता है जिसमें 9,17,900 अंत्योदय परिवार सम्मलित हैं।

वर्त्तमान में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चिन्हित परिवारों की संख्या निम्न प्रकार है :–

<u>ग्रामीण क्षेत्र :–</u>

(a) वर्तमान में चिन्हित ग्रामीण बी०पी०एल० परिवारों जिन्हें लाल राशन कार्ड आवंटित है	संख्या–	13,45,583
(b) ग्रामीण अन्त्योदय परिवार जिन्हें पीला कार्ड आवंटित है	संख्या–	8,44,983

5

pushpa D:\desktop backup\Food Security Ordinance\Resolution of NFSA 2013.doc - P -

(c) अतिरिक्त ग्रामीण बी०पी०एल० संख्या– 11,15,833

(d) कुल चिन्हित परिवार कुल 33,06,399

(e) खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आच्छादित होने वाली गृहस्थियों की संख्या– 40,90,006

(f) चिन्हित करने हेतु अवशेष पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार संख्या– 7,83,607

इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में 7,83,607 पात्र गृहस्थियों की पहचान की जानी है जो पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थियों की श्रेणी में रहेगें।

शहरी क्षेत्र :–

(a) वर्तमान में चिन्हित शहरी बी०पी०एल० परिवार जिन्हें लाल राशन कार्ड आवंटित है संख्या– 1,30,517

(b) शहरी अन्त्योदय परिवार जिन्हें पीला कार्ड आवंटित है संख्या– 72,917

(c) कुल चिन्हित परिवार संख्या– 2,03,434

(d) खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में आच्छादित होने वाली गृहस्थियों की संख्या – 9,18,298

(e) चिन्हित करने हेतु अवशेष पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार संख्या– 7,14,864

इस प्रकार शहरी क्षेत्र में 7,14,864 पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थियों की पहचान की जानी है जो पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थियों की श्रेणी में रहेगें।

राज्य में पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थियों की पहचान हेतु सामावेशण एवं अपवर्जन मानक निम्नप्रकार प्रस्तावित है :–

- **समावेशन मानक :–**

(a) 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।

(b) सभी विधवा एवं परित्यक्ता जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उंद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/ सेवानिवृत न हों।

(c) वैसे सभी निःशक्त व्यक्ति जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक हो जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय

इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित / सेवानिवृत न हों।

(d) सभी आदिम जनजाति के सदस्य जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित न हों।

(e) कैंसर, एड्स, कुष्ठ एवं अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।

(f) सभी भिखारी एवं गृहविहिन व्यक्ति।

नोटः— समावेशन मानक के आधार पर चिन्हित व्यक्तियों/परिवारों पर अपवर्जन मानक लागू नहीं होगा।

- **अपवर्जन मानक :—**

(a) परिवार का कोई भी सदस्य जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हों अथवा,

(b) परिवार का कोई सदस्य जो आयकर/सेवा कर/व्यवसायिक कर देता है अथवा,

(c) परिवार का कोई सदस्य जो झारखंड वैट अधिनियम के तहत पंज़ीकृत Assessee है अथवा,

(d) परिवार जो पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक भूमि का स्वामी है अथवा,

(e) परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है अथवा,

(f) परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है अथवा,

(g) परिवार का कोई सदस्य संवेदक के रूप में निबंधित है अथवा,

(h) परिवार के किसी सदस्य के नाम से 2KVA या उससे अधिक का विद्युत संयोग निर्गत है अथवा,

(i) वैसे परिवार जिनके पास रेफ्रिजेटर/एयर कंडिशनर है अथवा,

(j) वैसे परिवार जिनके पास तीन या इससे अधिक कमरों का पक्का मकान हो।

उपरोक्त मानकों को समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन किया जा सकेगा।

8. खाद्यान्न की आवश्यकता –

वर्तमान में भारत सरकार से राज्य के 23.94 लाख बी०पी०एल० एवं 19.62 लाख ए०पी०एल० कुल 43,56,000 परिवारों के लिए प्रतिमाह नियमित रूप से 1,03,410 टन खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त ए0पी0एल0 परिवारों को 9,810 टन खाद्यान्न का आवंटन तदर्थ रूप से प्राप्त होता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य में कुल आच्छादित होने वाले पात्र गृहस्थों की संख्या निम्न प्रकार होगी :–

राज्य में कुल पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थों की संख्या (No. Priority house hold)	– 40,90,404
अन्त्योदय परिवारों की संख्या	– 9,17,900
कुल	– **50,08,304**

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थीयों के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न आवंटित किया जाना है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न की आवश्यकता निम्न प्रकार होगी :–

पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थों के लिए (40,90,404 x 5.274 x 5 Kg)	– 1,07,863.9 टन प्रतिमाह।
अंत्योदय अन्न योजना (9,17,900 x 35 Kg)	– 32,126.5 टन प्रतिमाह।
Total	– **1,39,990 टन प्रतिमाह।**

9. लक्षित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली में सुधार –

(i) राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली में उतरोत्तर आवश्यक सुधार का प्रयास किया जायेगा।

(ii) राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या 1553 दिनांक 04.08.2009 के लक्षित आलोक में जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदारों को डोर स्टेप डिलेवरी के माध्यम से खाद्यान्न पहुँचाया जा रहा है।

purbpuD:\desktop backup\Food Security Ordinance\Resolution of NFSA 2013.doc - 7 -

(iii) **End-to-End Computerisation of PDS : –** जनवितरण प्रणाली की परिचालनीय दक्षता (Operetionl efficiency) में वृद्धि, सेवा प्रदायी प्रणाली (Service Delivery System) की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी लाने तथा सभी स्तरों पर पूर्ण पारर्शिता बरतने हेतु राज्य में जन वितरण प्रणाली कम्प्यूटरीकरण योजना लागू की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार जन वितरण प्रणाली कम्प्यूटरीकरण (End-to-End Computerisation) योजना के कार्यान्वयन में रू० 159.41 करोड़ (रूपये एक अरब उनसठ करोड़ एकतालीस लाख) का व्यय अनुमानित है। इसमें हार्डवेयर, साफ्टवेयर डेवलॉपमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेन्ट युनिट (PMU) तथा कर्मियों को पाँच साल तक रखने का व्यय सम्मिलित है। यह योजना पाँच वर्ष के लिए है।

(iv) **"आधार" का उपयोग :–** राज्य के चार जिलों के चार प्रखंडों में पॉयलेट बेसीस पर बायोमेट्रीक सूचनाओं के आधार पर लाभान्वितों के पहचान के उपरांत खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इसकी सफलता के उपरांत इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लागू किया जायेगा। लाभान्वितों के पहचान के लिए आधार संख्या एवं उससे संबंधित बायोमेट्रीक सूचनाओं का उपयोग किया जा रहा है।

(v) **अनुज्ञप्तियों का निर्गमन :–** विभागीय पत्रांक 1580 दिनांक 06.8.2009 के द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों की नयी अनुज्ञप्तियाँ सिर्फ महिला स्वयं सहायता समूहों को आवंटित की जा रही है तथा नयी अनुज्ञप्तियाँ व्यक्तियों को आवंटित नहीं की जाती है। राज्य में वर्त्तमान में कुल 22726 जन वितरण प्रणाली की दुकाने कार्यरत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित होने वाले कुल लक्षित परिवारों की संख्या 50,08,304 है। इस प्रकार औसतन प्रति जन वितरण प्रणाली दुकान में राशनकार्डधारियों की संख्या 220 है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जस्टिस डी०पी० वाधवा की अध्यक्षता में गठित जन वितरण प्रणाली पर केन्द्रीय निगरानी समिति के द्वारा शहरी क्षेत्रों में कम–से–कम 500 राशन कार्ड प्रति दुकान तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कम–से–कम 300 राशन कार्ड प्रति दुकान की ही अनुशंसा की गई है। दुकानों को आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाये रखने हेतु इससे अधिक दुकानों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। वर्त्तमान में राशन कार्ड जन वितरण प्रणाली की दुकानदारों से सम्बद्ध किये गये हैं। End to End Computrization के अंतर्गत राशन कार्ड धारियों को अपनी इच्छा के अनुसार प्रखंड/निकाय के किसी भी दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

(vi) **सामाग्रियों का विविधिकरण :–** वर्त्तमान में राज्य में जन वितरण प्रणाली दुकानों के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चावल, गेहूँ, नमक एवं किरासन तेल का वितरण किया जाता है। अन्य सामग्रीयों यथा खाद्य तेल, दलहन एवं चीनी के वितरण हेतु भारत सरकार से प्रस्ताव प्राप्त है। इन सामग्रीयों को लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण के संबंध में अलग से प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(vii) **ग्रेन बैंक :–** विभाग द्वारा राज्य के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा, सुखाड, बाढ़ या अन्य आपदा की स्थिति से निपटने के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 214 दिनांक 14.02.2008 के द्वारा कुल 583 भिलेज ग्रेन बैंक की स्थापना किया गया है एवं इसके संचालन हेतु आवश्यक सामग्रियों के क्रय करने के लिए आवश्यक राशि एवं 40 क्विंटल खाद्यान्न (One time allotment) प्रति भिलेज ग्रेन बैंक को आवंटित किया गया है।

(vii) **नगद अनुदान हस्तांतरण :–** राज्य सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के माध्यम से वितरण किये जा रहे किरासन तेल के बदले नगद हस्तांतरण योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में राँची, रामगढ़, हजारीबाग एंव सरायकेला–खरसांवा जिलों चिन्हित हैं। तदोपरांत द्वितीय चरण में खूंटी, लोहरदग्गा एवं बोकारो जिलें चिन्हित है। इस संबंध में भारत सरकार से प्राप्त निर्देषों के आलोक में कार्रवाई की जायेगी एवं इसकी स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् के समक्ष अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

10. महिला सशक्तिकरण –

राशनकार्ड – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित सभी अंत्योदय अन्न योजना तथा पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थियाँ को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना है।

वर्त्तमान में राज्य में 14,76,100 बी०पी०एल० परिवारों को लाल, 9,17,900 अंत्योदय परिवारों को पीला, 11,15,833 अतिरिक्त बी०पी०एल० परिवारों को नीला, 19,62,000 ए०पी०एल० परिवारों को हरा एवं 54,929 अन्नपूर्णा लाभान्वितों को सफेद कार्ड निर्गत किया जाना है। ये राशन कार्ड बार कोडेड है तथा इन कार्डों में लाभुक परिवारों के सदस्यों का फोटो अंकित है। अबतक 54,41,886 आवेदन का डिजिटाईजेंशन तथा 31,33,337 चेक लिस्ट सत्यापित किये गये हैं। 12,43,523 राशन कार्ड मुद्रित कर विभिन्न जिलों को वितरण हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। इन कार्डों में परिवार के मुखिया के रूप में पुरूष सदस्य का नाम अंकित है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र गृहस्थियों में परिवार के मुखिया के रूप में महिला सदस्य का नाम दर्शाते हुए राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना है। पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थियों के चिन्हितीकरण के पश्चात् इन परिवारों को गुलाबी रंग के कार्ड जिसमें परिवार के मुखिया के रूप में व्यस्क महिला का नाम हो, निर्गत किये जाने का प्रस्ताव है। मुद्रित राशन कार्ड में हस्त लेखन से

महिला सदस्य को परिवार का मुखिया अंकित किया जायेगा तथा मुद्रित होने वाले राशन कार्ड में महिला सदस्य को परिवार का मुखिया दर्शाते हुए राशन कार्ड मुद्रित कराये जायेगें।

जिन गृहस्थिओं में 18 वर्ष की उम्र की महिला सदस्य नहीं हैं ऐसे गृहस्थियों के राशन कार्ड में उस घर के पुरूष सदस्यों के नाम से निर्गत किया जायेगा परन्तु महिला की उम्र 18 वर्ष होते ही राशन कार्ड में इन्हें परिवार के मुखिया के रूप में रखा जायेगा।

पात्र गृहस्थियों हेतु पूर्व मुद्रित राशन कार्ड पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से आच्छादित होने के संबंध में मुहर लगाया जाना प्रस्तावित है।

11. शिकायत निवारण तंत्र –

(क) विभाग द्वारा जन शिकायत निवारण के लिये राज्य मुख्यालय एवं सभी जिला में कॉल–सेन्टर एवं हेल्प लाईन खोला जायेगा।

(ख) जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी :–

(i) जिला स्तर पर शिकायत निवारण के लिए संबंधित जिला के अपर समाहर्त्ता को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित करना प्रस्तावित है।

(ii) जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी जिला के अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं के वितरण की कालाबाजारी, अनियमितताएँ एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित प्राप्त परिवादों, शिकायतों एवं आरोपों को सुनेगा एवं इसका निवारण 21 दिनों के भीतर करते हुये आवश्यक निदेश जारी करेगा।

(iii) जिला के जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय अपर समाहर्त्ता का कार्यालय होगा।

(iv) जन शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर पारित आदेश के विरूद्ध शिकायत कर्त्ता राज्य खाद्य आयोग में अपील दर्ज कर सकता है।

(v) शिकायतकर्त्ता द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के 30 दिनों के अन्दर राज्य आयोग में अपील दायर किया जा सकेगा।

(ग) राज्य खाद्य आयोग :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु राज्य खाद्य आयोग का गठन करना प्रस्तावित है। इस हेतु विभाग द्वारा अलग से नियमावली तैयार की जायेगी एवं मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

12. खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की बाध्यताएँ –

(i) **योजनाओं का कार्यान्वयन :–** विभाग राज्य में लक्षित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के अधीन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में केन्द्रीय सरकार के अभिहित डिपो से खाद्यान्न प्राप्त करने, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के माध्यम से आवंटित खाद्यान्नों को जन वितरण प्रणाली के दुकानों तक डोर स्टेप डिलिवरी के माध्यम से पहुँचाने एवं लाभावितों को निर्धारित दर पर खाद्यान्न वितरित कराने हेतु उत्तरदायी होगा।

(ii) **खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान :–** लाभान्वितों को खाद्यान्न की निर्धारित मात्रा उपलब्ध नहीं कराये जाने के स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर लाभान्वितों को खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

(iii) **खाद्यान्न का भंडारण :–** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के दक्षतापूर्वक प्रचालन के लिए राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर वैज्ञानिक ढ़ग से भंडारण सुविधाओं का सृजन किया जाना है। वर्त्तमान में कुल भंडारण क्षमता 1,78,550 एमटी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किये जाने पर राज्य में प्रति माह 1,39,990 टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति श्री डी०पी० वधवा की अध्यक्षता में गठित जन वितरण प्रणाली पर केन्द्रीय निगरानी समिति के प्रतिवेदन के आलोक में प्रखंडवार आवश्यकता से ढ़ाई गुणा भंडारण क्षमता की आवश्यकता है। इसके अनुसार 3,49,975 एमटी भंडारण क्षमता के गोदाम की आवश्यकता है। इन गोदामों का निर्माण राज्य के बजटीय उपबंध, Public Private Partnership Mode एवं वित्त आयोग से प्राप्त होने वाले राशि से कराया जायेगा।

(iv) **राज्य खाद्य निगम का सुदृढ़ीकरण :–** राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का गठन किया है, जो दिनांक 01 फरवरी, 2011 से क्रियाशील है। निगम को अबतक 94 करोड़ रूपये खाद्यान्न क्रय करने हेतु एवं 318.96 करोड़ रूपये धान अधिप्राप्ति हेतु रिवॉलभिंग फण्ड के रूप में उपलब्ध कराया गया है। निगम के मानव संसाधन हेतु निदेशक मंडल के द्वारा नियुक्ति नियमावली की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। कार्य क्षमता में वृद्धि हेतु निगम के मुख्यालय, जिला कार्यालयों एवं गोदामों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

(v) **संस्थागत अनुज्ञापन व्यवस्था :–** राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के उपबंधों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा

झारखंड राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश जारी किया जाना है। इसकी स्वीकृति हेतु अलग से प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जायेगा।

13. खाद्य सुरक्षा के लिए स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यताएँ –

विभागीय अधिसूचना संख्या 1621 दिनांक 14.5.2013 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निकायों को जन वितरण प्रणाली के दुकानों की जांच एवं अनुश्रवण की शक्तियाँ प्रदत की गयी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत निकायों की शक्तियों में बढ़ोत्तरी एवं शहरी निकायों को शक्ति प्रदत करने संबंधी प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ अलग से लाया जायेगा।

14. पारदर्शिता एवं जबावदेही –

(i) लक्षित जन वितरण प्रणाली से संबंधित सूचनाएँ सार्वजनिक प्रमुख क्षेत्र में रखी जायेगी तथा सर्व साधारण के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। इससे संबंधित सूचनाएं विभागीय पोर्टल पर सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध रखी जायेगी।

(ii) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली तथा संबंधित दुकानों के कार्यकलापों का समय–समय पर समाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा। समाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर निर्धारित की जायेगी।

(iii) लक्षित जन वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना संख्या 1284 दिनांक 02.4.2013 के द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान, पंचायत, जिला, नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम तथा राज्य स्तर पर वितरण–सह–निगरानी समितियों का गठन किया गया है। इन वितरण–सह–निगरानी समितियों के अधिकार एवं दायित्वों का भी निर्धारण किया गया है। ये निगरानी समितियाँ योजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेंगी तथा लिखित रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमं के प्रावधानों के उल्लंघन, अनियमितताओं एवं दुर्विनियोग के मामलों को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेगीं।

15. खाद्य सुरक्षा अग्रसर करने हेतु उपबंध –

दूरस्थ, पहाड़ी एवं अनुसूचित जन जाति, बाहुल्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा की सतत् गहन निगरानी की जायेगी तथा प्राथमिकता के आधार पर इन क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

16. विविध –

(i) **शास्तियाँ :–** राज्य खाद्य आयोग द्वारा किसी लोक सेवक अथवा प्राधिकार को यह पाये जाने पर कि उसके द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश/निदेश /सिफारिश को बिना किसी युक्ति युक्त कारण के अनुपालन करने में कोताही बरती गयी है अथवा अवज्ञा की गयी है तो उस पर पाँच हजार रूपये तक की शास्ति अधिरोपित कर सकता है। शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व लोक सेवक/प्राधिकार को विधिसम्मत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

17. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत व्यय रूपये 74.00 करोड़ (चौहत्तर करोड़ रूपये) उपबंधित शीर्ष मांग संख्या 18–मुख्यशीर्ष–3456–सिविलपूर्ति–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना–102–सिविलपूर्ति योजना–789–अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना–39–पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री में किये गये उपबंध से किया जायेगा एवं रूपये 22.00 करोड़ (बाईस करोड़ रूपये) का व्यय उपशीर्ष–02 अंत्योदय अन्न योजना–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा। इस प्रकार उपरोक्त दोनों शीर्षों से वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 96.00 करोड़ (छियान्नबे करोड़ रूपये) के व्यय की स्वीकृति प्रस्तावित है।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

राज्यपाल के आदेश से,
21/10/2014

(डॉ प्रदीप कुमार),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– खा०आ० 01/ज0वि0प्र0/07/2011 3297 राँची/ दिनांक 21.10.14

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय प्रेस, डोरण्डा, राँची को इसे झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने एवं इसकी 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अग्रसारित।

21/10/2014
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– खा०आ० 01/ज0वि0प्र0/07/2011 3297 राँची/ दिनांक 21.10.14

प्रतिलिपि :– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची/महाप्रबंधक (क्षेत्रें) भारतीय खाद्य निगम, राँची/सभी उप निदेशक (खाद्य)/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, अनुभाजन, राँची एवं जमशेदपुर/अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति), धनबाद/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, झारखण्ड को सूचनार्थ अग्रसारित।

21/10/2014
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– खा०आ० 01/ज0वि0प्र0/07/2011 3297 राँची/ दिनांक 21.10.14

प्रतिलिपि :– सचिव, भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, 16–20 बरखम्भा रोड, नई दिल्ली, को सूचनार्थ अग्रसारित।

21/10/2014
सरकार के सचिव।

संख्या–03 / HIV/AIDS (पेंशन) योजना–516 / 2016– 181

झारखण्ड, सरकार

महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

(सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)

(Phone No- 2446264 email-socialsec.nhr@gmail.com)

प्रेषक,

रवीन्द्र प्रसाद सिंह,भा०प्र०से०
निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

निदेशक,
झारखण्ड स्टेट एड्स (AIDS) नियत्रंण संस्थान,
सदर अस्पताल कैम्पस, पुरलिया रोड,
राँची–834001, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक-..13../..07../2016

विषय :– झारखण्ड राज्य HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों की सूची / संख्या जिलावार उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाषय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत झारखण्ड राज्य के संकल्प संख्या–1522 दिनांक–17.06.2016 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध के साथ कहना है कि HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों की सूची एवं संख्या पूर्ण पता के साथ जिलावार हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अतः अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य में HIV/AIDS से पीड़ित व्यक्तियों की सूची एवं संख्या पूर्ण पता के साथ जिलावार हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :–यथोक्त।

विश्वासभाजन
13/7/16
(रवीन्द्र प्रसाद सिंह)
निदेशक
सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–03 / HIV/AIDS (पेंशन) योजना–516 / 2016– 181   राँची, दिनांक– 13-07-2016

प्रतिलिपि :–सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

13/7/16
(रवीन्द्र प्रसाद सिंह)
निदेशक
सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–03 / HIV/AIDS (पेंशन) योजना–516 / 2016– 181 राँची, दिनांक– 13-07-2016

प्रतिलिपि :–सभी प्रभारी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, झारखण्ड / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि निर्गत संकल्प के अनुसार जिला AIDS नियंत्रण सोसाईटी से पूर्ण पता के साथ सूची प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करें तथा इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

13/7/16

(रवीन्द्र प्रसाद सिंह)
निदेशक
सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–03 / HIV/AIDS (पेंशन) योजना–516 / 2016– 181 राँची, दिनांक– 13-07-2016

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(रवीन्द्र प्रसाद सिंह)
निदेशक
सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची।

J/s.k/ Indira Gandhi letter 2016-17

झारखण्ड सरकार

झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति

स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड
सदर अस्पताल परिसर, पुरूलिया रोड, राँची–834001
दूरभाष / फैक्स :–0651 –2211018, ईमेल – jharkhandsacs@gmail.com, वेबसाईट – www.jsacs.org.in

पत्रांक – 596 /JSACS/2016, राँची   दिनांक : 18/8/16

सेवा में,

सभी उपायुक्त
झारखंड।

विषय : राज्य सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ झारखण्ड राज्य के HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों को दिलाने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित करने के संबंध मे।

प्रसंग : पत्र संख्या – 03 / HIV/AIDS (पेंशन) योजना – 516 / 2016–200

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषयक कहना है कि राज्य सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित आवेदन – प्रपत्र सभी ए.आर.टी. केन्द्र के नोडल पदाधिकारी को निर्गत कर दिया गया है। एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति, जो केन्द्र से ए.आर.टी. की दवा प्राप्त कर रहें है के आवेदन पत्र को ए.आर.टी. सेन्टर के चिकित्सा पदाधिकारी अथवा वरीय चिकित्सा पदाधिकारी अपनी अनुशंसा एवं हस्ताक्षर के साथ संबंधित जिला के अनुमण्डल पदाधिकारी को अग्रसारित करते हुए सूची एवं आवेदन प्रपत्र जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक के पास जमा करायेंगे। सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग अपने स्तर से सूची एवं आवेदन प्रपत्र को अनुमण्डल पदाधिकारी के पास स्वीकृति हेतु जमा करायेंगे।

अतः अनुरोध है कि एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों के पहचान की गोपनीयता को बनाये रखते हुए लाभुकों को यथाशीघ्र लाभ दिलाने के संबंध में संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।

विश्वासभाजन

(डॉ0 अमिताभ कौशल)
परियोजना निदेशक

ज्ञापक. 596 / जे.एस.ए.सी.एस. / 2016, रांची   दिनांक– 18/8/16

प्रतिलिपि :
1. निदेशक सामाजिक सुरक्षा, झारखंड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी ए.आर.टी. केन्द्र के नोडल पदाधिकारी / सी.एस.सी. प्रोजेक्ट (विहान) को यथाशीघ्र आवेदन प्रपत्र अग्रसारित करने एवं सामाजिक सुरक्षा कोषांग में सूची एवं आवेदन पत्र जमा करने हेतु प्रेषित।

(डॉ0 अमिताभ कौशल)
परियोजना निदेशक

अनुलग्नक: पत्र संख्या – 03 / HIV/AIDS (पेंशन) योजना – 516 / 2016–200

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
सदर अस्पताल परिसर, पुरुलिया रोड, राँची
फोन: 0651--2211018. फैक्स: 0651--2309556

पत्रांक सं0 565 / जे.एस.ए.सी.एस / 2016 / राँची   दिनांक-- 05/8/16

प्रेषक

डा0 भवेशा नन्द पोद्दार
अपर परियोजना निदेशक
झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, राँची।

सेवा में,

मोडल पदाधिकारी / चिकित्सा पदाधिकारी,
सभी ए.आर.टी. सन्टर।

विषय--**झारखण्ड राज्य HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रपत्र के प्रेषण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आवेदन प्रपत्र संलग्न करते हुए कहना है कि झारखण्ड राज्य में **PLHIV (People Living with HIV/AIDS)** व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना का शुभारम्भ झारखण्ड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के कर--कमलों से 15.08.2016 को होना सुनिश्चित किया गया है. इस संबंध में ए.आर.टी. दवा का सेवन कर रहे व्यक्तियों को राज्य सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु आवेदन--प्रपत्र आपको भेजा जा रहा है।

अतः आप से अनुरोध है कि **ON ART PLHIV** का सहमति प्राप्त करते हुए आवेदन पत्र पर चिकित्सा पदाधिकारी अथवा वरिय चिकित्सा पदाधिकारी की अनुशंसा एवं हस्ताक्षर के साथ दिनांक **9 अगस्त 2016** तक संबंधित जिला के अनुमण्डल पदाधिकारी तथा प्रतिलिपि जिला उपायुक्त को सुची एवं आवेदन पत्र **Covering** letter (गोपनीयता बनाये रखने का उल्लेख करते हुए) के साथ अग्रसारित करेंगे। आवेदन पत्र पूर्णरूपेण भरा हो, आधार नम्बर एवं बैंक खाता संख्या पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए। आवेदन प्रपत्र भेजने से संबंधित व्यय साथी (प्रोजेक्ट विहान) द्वारा किया जायेगा। सूची की एक जिलावार हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा विभाग, धुर्वा, राँची एवं झारखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति को भेजेंगे।

विश्वासभाजन

अपर परियोजना निदेशक
झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, राँची।

ज्ञापांक-- 565 / जे.एस.ए.सी.एस. / 2016   राँची / दिनांक -- 05/8/16

प्रतिलिपि :-- 1. सभी सी.एस.सी. को आवेदन प्रपत्र भरने एवं प्रेषित करने हेतु प्रेषित।
2. सभी आई.सी.टी.सी. को पेंशन योजना से संबंधित सुचना **ON ART PLHIV** को देने हेतु प्रेषित।

अपर परियोजना निदेशक
झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, राँची।